राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परषद, उ0 प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्याः अधि0'क'–4 (53/5)/2011– 323 **दिनॉक** 24/3/ 2011

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/
उप निदेशक(निर्माण)/(वि0/यां0),/अनुरक्षण खण्ड,
विशेष कार्याधिकारी (विधि), इलाहाबाद एवं
समस्त अनुभागाध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

मण्डी परिषद में कार्यरत ऐसे समस्त कर्मियों जिनकी नियमित नियुक्ति को एक वर्ष पूर्ण हो गया हो और उनकी परिवीक्षा अवधि बढायी न गयी हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–46 (बी) तथा सहायक नियम–31 के प्राविधानान्तर्गत प्रति वर्ष मानदेय प्रदान किया जाता है, ताकि उनके कार्यकौशल में उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास हो।

उक्त सन्दर्भ में कृपया अपने अधीन कार्यरत ऐसे नियमित कर्मियों जिन्हें आप मानदेय दिया जाना अपरिहार्य समझते हों, की सूचना निम्न बिन्दुओं पर विलम्बतम दिनांक 25.03.2010 तक अनुभाग अधिकारी,अधिष्ठान "क" अनुभाग, मण्डी परिषद, मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2010–11 में मानदेय दिये जाने हेतु उनके नामों पर विचार किया जा सके–

1 नाम कर्मचारी (पदनाम सहित)

2 कार्यालय/मण्डल में योगदान तिथि

3 आवंटित कार्य (संक्षेप मे)

4 आलोच्य वर्ष में कर्मचारी के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो, या दण्डित किया गया हो, तो उसका संक्षिप्त विवरण।

5 संबंधित कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का संक्षिप्त विवरण।

6 अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये गये ऐसे उत्कृष्ट कार्यों का संक्षिप्त विवरण, जिसके फलस्वरूप मानदेय दिये जाने की संस्तुति की जा रही है।

7 अन्य विवरण जो आवश्यक समझें।

यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों के नाम अग्रसारित किए जाय, जिन्होंने आलोच्य वर्ष 2010–11 में कठोर परिश्रम अथवा ऐसे विशेष योग्यता का परिचय दिया हो जिसके फलस्वरूप मानदेय दिये जाने का समुचित औचित्य हो और उनकी एक वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2011 को पूर्ण होती हो।

2. उपर्युक्त नियमित कर्मियों के अतिरिक्त परिषदीय कार्यो में गैर नियमित कर्मियों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अधिष्ठान मद के अन्तर्गत कार्यरत गैरनियमित कर्मियों को भी मानदेय प्रदान किए जाने पर विचार किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में उत्कृष्ट कार्यकौशल का प्रदर्शन करने वाले अधिष्ठान मद के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे गैर नियमित कर्मियों जिनके पारिश्रमिक का भुगतान परिषद अधिष्ठान से किया जाता है, की सूची भी पृथक से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

24.03.11

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक